

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक—एफ 10(6)/वन/2003

जयपुर, दिनांक 08 JAN 2010

आदेश

राजस्थान तेन्दूपत्ता (व्यापार का विनियमन) संशोधित नियम 1983 की क्रम संख्या 9 में वर्णित नियम 11 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग के आदेश संख्या एफ.10(38)राज-8/82 दिनांक 09.03.84 एवं आदेश संख्या एफ.10(38)राज-8/89 दिनांक 19.12.91 द्वारा पूर्व में अनुमोदित तेन्दूपत्ता विक्रय हेतु निविदा/निबंधन की शर्तों एवं निविदा प्रारूप तथा निविदाकार के करारनामे एवं क्रेता के इकरारनामे में भिन्न-भिन्न स्थान पर प्रयुक्त शब्द वन संरक्षक (प्रादेशिक) एवं वृत्त तथा वन संरक्षक के स्थान पर मुख्य वन संरक्षक (संभाग) का संशोधन करने की अनुमति तत्काल प्रभाव से दी जाती है।

यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वन विभाग द्वारा उक्तानुसार निविदा/निबंधन की शर्तों एवं निविदा प्रारूप तथा निविदाकार के करारनामे एवं क्रेता के इकरारनामे आदि में संशोधन कर तेन्दू पत्ता इकाईयों के व्ययन की कार्यवाही सम्पन्न करावें।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह)  
अति० शासन सचिव (वन)

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्य मंत्री, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन), राजस्थान जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता योजना, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/जयपुर/जोधपुर/भरतपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

अति० शासन सचिव (वन)